02.24

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अदालत उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ

रामकुमार बनाम रामलाल आदि

किस्म मुकदमाः—183,188,209 आरटीए 1955

प्रकरण संख्याः—130/2019
GCMS No. :- 2019/00220

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25/6/24	पत्रावली वास्ते बहस पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित। वकील वादी ने वादपत्र के तथ्यो को दोहराते हुये निवेदन किया कि वादी के नाम चक 1 बीपीएम प0न0 214/11 कि0न0 3,4,8,13,18 = 1.265 है0, प0न0 214/19 कि0न0 1/1, 2, 10/1, 11/1,12,19 से 24 = 2.658 है0, प0न0 214/27 कि0न0 13,18 = 0.506 है0 कुल 4.429 है0 खातेदारी भूमि हैं। चक 1 बीपीएम प0न0 214/18 से 214/19 कि0न0 1,10,11,20,21 में 2—2 बिस्वा रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज हैं। जो कि वर्षो से चला आ रहा हैं। परन्तु प्रतिवादी नं0 1 ता 3 ने मिलकर उक्त रास्ता प0न0 214/19 कि0न0 1 पर बंद कर दिया हैं। वादी प्रतिवादीगण के पास दिनांक 25.09.2019 को रास्ता खोलने गये तो प्रतिवादी नं0 1 ता 3 ने रास्ता खोलने से मना कर दिया। प्रतिवादीगण की रास्ता नही खोलने की धमकी वाद पेश करने का मुख्य कारण हैं। अतः वादपत्र स्वीकार कर डिक्री जारी कि जावे कि प्रतिवादी नं0 1 ता 3 वादी की खातेदारी भूमि में दखलांदाजी ना करें एवं चिरस्थई निषेधाज्ञा जारी कि जावे कि प्रतिवादी नं0 1 ता 3 प0न0 214/19 के कि0न0 1, 10,11,20,21 प्रत्येक में 2—2 बिस्वा जो कि0न0 1 पर बन्द कर दिया हैं, को खुलवाया जाकर पुनः बन्द ना करें। वकील प्रतिवादी नं0 1 ता 3 ने वादी के कथनो को अस्वीकार कर निवेदन किया कि वादी द्वारा वादपत्र श्रीमान के क्षैत्राधिकार से बाहर जाकर पेश किया हैं। वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र स्वीकृत रास्ता जो प0न0 214/19 के कि0न0 1,10,11,0,21 में चल रहें स्वीकृत रास्ता से सम्बन्धित हैं। जो कि वादपत्र के **pith & substance** से साबित हैं। वादी द्वारा जानबुझ कर विधि में उल्लेखित प्रावधानो को विफल करने के लिये मिथ्या कथनो के आधार पर वादपत्र प्रस्तुत किया हैं। जबकि स्वीकृत रास्ता को खुलवाने का प्रावधान राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 के तहत तहसीलदार को प्राप्त हैं एवं 251 (2) के तहत सिविल न्यायालय के समक्ष चाराजोई करने का प्रावधान हैं। रही बात रास्ता की तो मौका पर रास्ता चालू हैं। संलग्न पटवारी रिपोर्ट दिनांक 18.05.2022 से साबित हैं। वादी स्वयं अतिक्रमी रहा हैं। जिस पर स्वीकृत रास्ता को काश्त करने हेतु धारा 22 की कार्यवाही की जा चुकी हैं। वादी मात्र प्रतिवादीगण को परेशान करने की नियत से उक्त वादपत्र क्षैत्राधिकार से बाहर जाकर पेश किया हैं। जो कि खारीज योग्य हैं। बहस सुनी गई। पत्रावली में शामिल दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। दोनो पक्षो द्वारा पेश किये गये साक्ष्य पर मनन किया गया। वादपत्र के सार व तत्व का अवलोकन करने से साबित हैं कि प्रस्तुत प्रकरण स्वीकृत रास्ता को खुलवाने से सम्बन्धित हैं। वादपत्र में वादी द्वारा एवं वादी पक्ष के गवाह मनीराम पुत्र दुलाराम, धर्मपाल पुत्र सुरजाराम ने अपने ब्यानो में स्वयं स्वीकार किया हैं कि प्रस्तुत प्रकरण स्वीकृत रास्ता से सम्बन्धित हैं। अन्य कोई विवाद नही हैं। स्वीकृत रास्ता को खुलवाने हेतु प्रावधान राज0 काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 व 251(2) में उल्लेखित हैं। वादी द्वारा जानबुझकर विधि द्वारा स्थापित प्रावधानो को विफल करने के लिये उक्त वादपत्र पेश किया हैं। जो कि हमारे क्षैत्राधिकार से परे हैं। अतः हम वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को निरस्त करना उ[illegible] हैं। अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र क्षैत्राधिकार [illegible] के कारण निरस्त किया जाता हैं। पत्रावली नम्बर से कम [illegible] तरतीब [illegible] जावें। निर्णय सरेइजलास [illegible] Signature Not Verified Digitally signed by Sita Sharma Date: 2024.06.28 12:31:45 IST Reason: SelfAttested उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (राज.)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

(ओ021 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

–::परचा डिकी::–

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर

(बइजलास :–सीता शर्मा, आर.ए.एस.)

–:: अनवान ::–

1.रामकुमार पुत्र दुलाराम जाति कुम्हार निवासी चक 1 बी.पी.एम. हरदासवाली तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

–वादी

बनाम

1.रामलाल पुत्र दुलाराम जाति कुम्हार निवासी चक 1 बी.पी.एम. हरदासवाली तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
2.मनफुल पुत्र रामलाल जाति कुम्हार निवासी हरदासवाली तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
3.मोहनी देवी पत्नी रामलाल जाति कुम्हार निवासी हरदासवाली तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
4.तहसीलदार सूरतगढ़

–प्रतिवादीगण

वाद पत्र धारा–183,188,209 आर.टी.एक्ट मुकदमा नं. 130 वर्ष 2019 (GCMS 2019/00220) यह मुकदमा वास्ते इनफिसाल कितई रूबरू हमारे हाजरी वकील वादी श्री भागीरथ बिश्नोई व वकील प्रतिवादीगण श्री राकेश सारस्वत् तथा राज पैरोकार के हाजिर होने पर हुक्म दिया जाता है व डिकी जारी की जाती है कि:–

वाद पत्र क्षेत्राधिकार विहिन होने के कारण निरस्त किया जाता है।

नोज.....ग.....मुबलिग.....ग.....बाबत.....ग.....खर्चा इस मुकदमें मे मय सूद बशरह.....ग..... फस्दों की पालना.....ग.....आज की तारीख से तारीख वसूलया वो तक की अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 25.06.2024 को जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sita Sharma
Date: 2024.06.28 12:31:45 IST
Reason: SelfAttested

(सीता शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)